

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵੰ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110008
H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸੰਦਰਬ/Ref. No.

ਦਿਨਾਂਕ/Dated:

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2018-19

February 18, 2019

To,

Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <u>Mumbai – 400 001.</u> SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), <u>Mumbai – 400 051.</u> SYMBOL: PSB SERIES: EQ
---	---

Dear Sir,

Reg: Update: Extraordinary General Meeting on 15th March 2019

We are forwarding a copy of Notice for Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on Friday, 15th March 2019 at 10.30 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi 110085.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਆਂਡ ਸਿੰਠ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਆਂਡ ਸਿੰਠ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਏਸ.ਐਨੀ

(ਘਰਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਅਧਕਾਰ / A Govt. of India Undertaking)

ਪਰਠਾਨ ਕਾਰਯਾਲਯ: 21, ਰਾਜੇਨੁਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਏਂ ਢਿਲੁਲੀ-110008

Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

ਅਸਾਠਾਰਣ ਸਾਮਾਨਯ ਬੈਠਕ Extraordinary General Meeting

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2019, ਪਰਾਤ: 10:30 ਬਜੇ

Friday, 15 March 2019, 10.30 A.M

ਸਥਾਨ:

ਪੰਜਾਬ ਆਂਡ ਸਿੰਠ ਬੈਂਕ
ਸਟਾਫ ਪਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕਾਲੇਜ
ਸੰਸਥਾਗਰਾ ਕਸ਼ੇਰ, ਪਲਾਟ ਸੰਖਯਾ-3
ਸੇਕਟਰ 3, ਰੋਹਿਣੀ
ਢਿਲੁਲੀ-110085

Venue:


Punjab & Sind Bank
Staff Training College
Institutional Area, Plot No.3
Sector 3, Rohini,
Delhi – 110085

ਜਹਾਂ ਸੇਵਾ ਠੀ ਜੀਵਨ-ਧਯੇਯ ਠੈ / Where Service is a Way of Life

विषय सूची CONTENTS

क्रम सं. S. No.	विषय Subject	पृष्ठ सं. Page No.
1.	सूचना NOTICE	3 11
2.	टिप्पणियां NOTES	4 12
3.	व्याख्यात्मक विवरणी EXPLANATORY STATEMENT	4 12
4.	प्रॉक्सी फॉर्म PROXY FORM	9 15
5.	उपस्थिति पर्ची सहित प्रवेश पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	10 16

PUNJAB & SIND BANK
Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No.3, Institutional Area, Sector-3, Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-1100 085



प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में बुधवार, 15 मार्च, 2019 को प्रातः 10.30 बजे निम्न कारोंवार करने हेतु आयोजित होगी:
मद संख्या 1

बैंक के पूर्ण कासीन निदेशकों और कार्मिकों को ई.एस.पी.एस. आधार पर ईक्यूटी शेयर जारी करना (कार्मिक शेयर क्रय योजना)
 कार्मिकों को प्रत्येक अंशित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपए) के 5,00,00,000 (पाच करोड़) नए शेयर सुजन, ग्रांट, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित कर, बैंक के वर्तमान ईक्यूटी शेयरों के समरूप, सभी प्रायोजनों तथा सभी प्रकार से जिसमें लाभार्थ का भुगतान सम्प्लित है, कार्मिक शेयर क्रय योजना के अंतर्गत (इसके बाद "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." संदर्भित होगी) एक या अधिक किस्तों में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, ऐसे नियमों एवं शर्तों जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार और विचार करने हेतु यदि वह उचित समझती है, संशोधन के बगैर अथवा संशोधन(ओं) के साथ निम्न को एक विशेष निर्णय(ओं) के साथ पास करें

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 ("योजना") तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बेटों) विनियम, 2008 ("विनियमन") के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 ("अधिनियम") समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक (भार.बी.आई.), भारत सरकार (भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों जिसमें बैंक के ईक्यूटी शेयर सूचीबद्ध हैं, का यदि कोई अनुमोदन, महमति, अनुमति और स्वीकृति हो और जहाँ भी लागू हो तथा/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति की आवश्यकता हो और उक्त के अनिश्चित ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों और संशोधनों के अधीन और जिन पर बैंक के निदेशक सफल की महमति हो सकती है एवं सेबी विनियमन, 2014 आधारित (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) के प्रावधानों, अद्यतन, संशोधित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाएं/परिपत्रों यदि कोई हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा समय-समय पर लागू अन्य सभी नियमों के अधीन सेबी के प्रावधानों (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (सेबी एमओडीआर) को अद्यतन संशोधित करते हुए, के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों यथा वीएसई लि (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.(एनएसई लि.) के साथ बैंक ने एकल सूचीबद्ध समझौता किया है; किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्वर पर प्रयोज्य अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति को संपूरी देने के दौरान इन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित या लागू की गई कोई भी शर्त और परिपत्रन के अंतर्गत तथा जिसकी बैंक के निदेशक सफल ने द्वारा महमति दी गई और स्वीकार किया गया हो, बैंक के शेयरधारकों की महमति तथा एतद्द्वारा बैंक के बोर्ड के निदेशक जिसे इसमें बाद इस संकल्प में "बोर्ड" कहा गया है जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें सभी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदान शक्तियों मन्त्रित उसकी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा पठित की गई हो व पठित की जाती हो) को महमति प्रदान की जाती है कि एक या अधिक श्रृंखला में जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार और विचार करने हेतु यदि वह उचित समझती है, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, ऐसे नियमों एवं शर्तों पर, निर्णय लिया जा सकता है कि बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और कार्यकारी निदेशक(ओं) (कार्मिकों) को प्रत्येक अंशित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपए) के 5,00,00,000 (पाच करोड़) नए शेयर सुजन कर, ग्रांट, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित करने जो बैंक के वर्तमान ईक्यूटी शेयरों के समरूप, सभी प्रायोजनों तथा सभी प्रकार से जिसमें लाभार्थ का भुगतान सम्प्लित है, कार्मिक शेयर क्रय योजना के अंतर्गत (इसके बाद "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." संदर्भित होगी), जो इन शर्तों के अधीन होने कि भारत सरकार की शेयरधारिता 51.00%से कम नहीं हो।

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) अधिनियम, 2014 के विनियमन 15 या कोई सांविधिक संशोधन(ओं), परिशोधन(ओं), अथवा उनको पुनर्लागू करने में निर्धारित सेवा नीतियों का पालन करेगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." के अंतर्गत जारी और आबंटित ईक्यूटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, पर स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समरूप सूचीबद्धता समझौते के नियमों एवं शर्तों तथा अन्य लागू दिशा-निर्देशों, नियमों तथा अधिनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." ईक्यूटी शेयरों के निर्गम, के संबंध में अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय माने जाने वाले सभी कृत्यों, कर्मों, मामलों और बातों के करने तथा समय-समय पर "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, दुविधा या संदेह का समाधान करने तथा अन्य सभी आवश्यक, उचित और समीचीन कृत्य, कर्म, मामलों एवं बातों को करने एवं अपने पूर्ण विवेक के अनुसार "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." पर आवश्यक, उचित और आवश्यक समझने जाने वाले सभी दस्तावेजों व लेखों को अंतिम रूप देने तथा "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." को तैयार करने हेतु अधिकृत होगा और इसको एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है, (पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस.) के लिए उनको आने शेयरधारकों की महमति, या अनुमोदन अथवा अन्यथा की आवश्यकता नहीं होगी और इन संकल्प के प्राधिकार द्वारा उसको इस उद्देश्य एवं आशय से अधिकृत किया गया है तथा शेयरधारकों द्वारा स्पष्टतया: अनुमोदित किया गया माना जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल (ओं)को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक(ओं) अथवा अन्य अधिकारी(अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत होगा जो सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) अधिनियमों, 2014 और अन्य लागू कानूनों, नियमों तथा अधिनियमों के साथ उक्त प्रस्तावों को लागू करें।

मद संख्या 2

अहर्ता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट द्वारा ईक्यूटी शेयर जारी करना
 प्रत्येक अंशित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपए) के 500 करोड़ रुपए (पाच सौ करोड़ रुपए) के नए शेयर सुजन, ग्रांट, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित करने के संबंध में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना जो बैंक के वर्तमान ईक्यूटी शेयरों के समरूप, सभी प्रायोजनों तथा सभी प्रकार से जिसमें लाभार्थ का भुगतान सम्प्लित है, अहर्ता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक श्रृंखला में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, ऐसे नियमों एवं शर्तों जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार और विचार करने हेतु यदि वह उचित समझती है, संशोधन के बगैर अथवा संशोधन(ओं) के साथ निम्न को एक विशेष निर्णय(ओं) के रूप में:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 (इसके बाद "अधिनियम संदर्भित किया जाएगा") बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ("बैंकिंग अधिनियम" संदर्भित किया जाएगा) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बेटों) अधिनियम 2008 ("अधिनियम" संदर्भित किया जाएगा), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूची निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी) ("आईसीडीआर विनियमन") विनियमन भारत सरकार जिसे लागू नियमों, विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धान्तों, परिपत्रों,

स्पीकरियों के द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (भार. रि. बैंक), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित और/या किसी अन्य महत्वपूर्ण प्राधिकरण द्वारा बगैरे विधि, नियम और विनियम के अध्वधीन (इसमें किए गए संशोधन या वर्तमान समय में पुनः लागू अधिनियम), बैंक द्वारा उन स्टॉक विनियमों में मूवीवन करार जहाँ बैंक के डब्ल्यूटी शेर मूवीबड है, सेबी (मूवीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अनुमोदन, सहमति, अनुमति या मंजूरी प्रदान करने समय उनके द्वारा शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति या मंजूरी के लिए लगाया जाना और उसमें बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत होना (इसके बाद उसे बोर्ड को कहा जाएगा इस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल है) तथा समय-समय पर लागू अन्य सभी नियमों के अधीन सेबी के प्रावधानों (मूवीवन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्य) अधिनियम, 2015 को अद्यतन संशोधित करने हुए, के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों तथा वीएमई लि. और वैशाल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के साथ बैंक ने एकरूप मूवीबड समझौता किया है। किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर प्रयोज्य अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति को मंजूरी देने के दौरान इन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित या लागू की गई कोई भी शर्त और परिचर्न के अंतर्गत तथा जिसको बैंक के निदेशक सफल ने द्वारा सहमति दी गई और स्वीकार किया गया हो, बैंक के शेरधारकों की सहमति तथा एनड्यार बैंक के बोर्ड के निदेशक (जिन इसके बाद इस संकल्प में "बोर्ड" कहा गया है जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदान शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई हो व गठित की जानी हो) को सहमति प्रदान की जानी है। बैंक की सहमति है और एनड्यार बोर्ड को भी जानती है कि वह आईसीडीआर की नियामकी के अध्याय VI के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अहर्ता प्राप्त संस्थागत स्थान के माध्यम से बैंक के डब्ल्यूटी शेरों का मुजन और, निर्गम, आवंटन करे। भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम जैसाकि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, बोर्ड ने लागू विधि एवं विनियम के अनुसार अपने विवेकाधिकार में रु 500 (पाँच सौ करोड़ मात्र) से अधिक कुल राशि जो अनुमत की है जो ऐसे समय या समयों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर प्रीमियम सहित और ऐसे वंश में तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्धारित करें जिसमें यह विवेकाधिकार भी शामिल है, निदेशकों की उन शर्तों का निर्धारण जिन्हें ऑफर निर्गम एवं आवंटन किया जाए। ऑफर के समय बाजार की स्थितियों और अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखते हुए अहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ अग्रणी प्रबंधक(कों) एवं/या दायीदार(रों) या अन्य मलाहकारों से परामर्श करके बोर्ड अपने अतन्व्य विवेकाधिकार में उचित अथवा उपयुक्त निर्णय ले सकेगा।

आगे संकल्प किया गया कि जारी किए गए डब्ल्यूटी शेर, बैंक के मौजूदा डब्ल्यूटी शेर के बराबर के होंगे जिनमें लाभानाश शामिल है।

आगे संकल्प किया गया कि आहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थान के मामले में आई.सी.डी.आर. विनियमावली के खंड VI के अनुसूचन में :-

- आई.सी.डी.आर. विनियमावली के खंड VI के केई तहत प्रतिभूतियों का आवंटन केवल अहर्ताप्राप्त संस्थागत केताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्ण प्रदान होनी चाहिए तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन संकल्प कि तिथि से 12 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए।
- आई.सी.डी.आर. विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसूचन में बैंक को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम कीमत से अधिकतम पाँच प्रतिशत कि छूट पर शेर ऑफर कर सकता है जैसा कि विनियमावली में निर्धारित किया गया है।
- प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि आई.सी.डी.आर. विनियमावली के अनुसार माना जाएगा।

"आगे संकल्प किया गया है कि, उक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु बोर्ड प्राधिकृत है और एनड्यार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान करने, उसके अनुमोदन से जुड़े सभी काम, कृप्य, विषय और कार्य करें जो इसमें शामिल हैं परंतु यहाँ तक सीमित नहीं है, साथ ही, अंतिम ऑफर पत्रों को निर्गम के फार्म और शर्तों को नियत करें, इसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें डब्ल्यूटी शेर निर्गमित होंगे, आवंटित किए जाएंगे जैसा कि वह वर्ग शामिल है जिन्हें डब्ल्यूटी शेर निर्गमित होंगे, आवंटित किए जाएंगे जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार में उचित समझे, अपने अतन्व्य विवेकाधिकार में निर्गम, ऑफर एवं आवंटन में उपजे मबालों, प्रक्रियाओं, कठिनाईओं से संबंधित प्रश्नों का अपने विवेकाधिकार में समाधान करें और इसके लिए सदस्यों की सहमति या अनुमति आवश्यक नहीं होगी, दूसरे शब्दों में: यह माना जाएगा कि संकल्प के प्राधिकार के संबंध में सदस्यों की अनुमति है।

"आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एनड्यार प्राधिकृत किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु सीधे प्रबंधकों, विधि मलाहकारों, दायीदारों, बैंकों, मलाहकारों, जो भी आवश्यक हों, उन्हें शामिल करें/नियुक्त करें, जो ऐसे डब्ल्यूटी शेरों के ऑफर के कार्य में जुड़े हों, संबद्ध हों और उन्हें कमीशन, शुल्क आदि के रूप में पारिश्रमिक दें और ऐसी एजेंसियों के साथ करार, नापन, प्रवेशन आदि की व्यवस्था करें, निष्पादन कराएँ और निर्गमित डब्ल्यूटी शेरों की उन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग कराएँ जहाँ बैंक के शेर मूवीबड है।"

"आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एनड्यार प्राधिकृत किया जाता है कि वह निदेशकों की समिति या अपने सभी अधिकारों या किसी अधिकार को प्रत्यावृत्त करें या निदेशकों की समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपें जो उक्त संविदा को प्रभावी बना सके और उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्यों, कर्तव्यों, विषयों, मामलों को निष्पादित करे और कोई भी जरूरी परिचर्न(नों) या संशोधन(नों) को करें जिसे उचित समझना है और ऐसा निर्देशन दें जो डब्ल्यूटी शेरों के निर्गम और आवंटन से उठने वाले प्रश्नों और कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि में आवश्यक है। साथ ही, वे शामिल हैं पर सीमित नहीं हैं:

- ड्राफ्ट/अंतिम ऑफर प्रलेख का अनुमोदन एवं आवश्यकतानुसार उसे किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्तियों को फाइल करना;
- निर्गम मूल्य, आवंटन किए जाने वाले डब्ल्यूटी शेरों की संख्या, आवंटन का आधार और डब्ल्यूटी शेर के आवंटन का अनुमोदन;
- डब्ल्यूटी शेर के निर्गम के संबंध में जरूरी सुपुर्दगी और सभी आवश्यक या वांछनीय संविदाओं, करारों और अन्य प्रलेखों, विनियमों और नियमों का निष्पादन;
- ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के लिए आवश्यक हों;
- ऐसे सभी कार्य, कर्तव्य, विषय और मामलों को निष्पादित करना और ऐसे अन्य सभी प्रलेखों का निष्पादन करना और अपने अतन्व्य विवेकाधिकार से संव्यवहार के लिए आवश्यक या अपेक्षित शुल्क का गुपतान करना;
- समुचित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जानेवाले सभी आवश्यक आवेदनों को नैवार करना और इस संबंध में आवश्यक विनियामक फाइलिंग करना;
- उस स्टॉक एक्सचेंज(ओं) में बैंक के डब्ल्यूटी शेरों को मूवीबड करने के लिए आवेदन करना जहाँ पर बैंक के डब्ल्यूटी शेर मूवीबड किए जाने हैं।

कृत पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14.02.2019

(एम. हरिगंकर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणियाँ:

1. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :

व्याख्यात्मक वक्तव्य बैठक के व्यवसाय के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है और उसे नोटिस का हिस्सा बनाया जाता है।

2. एएसपीएस आधार पर कर्मचारियों को डब्ल्यूटी शेर जारी करना (कर्मचारी शेर जारी योजना)

अपनत्व की भावना को बढ़ाने और बैंक के कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से, बैंक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बैंक के कार्यकारी निदेशकों सहित अपने कर्मचारियों को नए डब्ल्यूटी शेर जारी करने का प्रस्ताव करता है। जैसा कि सेबी विनियम, 2014 के विनियम 2 (1) एफ सेबी (शेर आधारित कर्मचारी लाभ) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। प्रस्तावित मुद्दा दीर्घकालिक संसाधनों की वृद्धि मांगों को पूरा भी करेगा और वेंचर III की आवश्यकताओं के अतुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करेगा।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 [सेबी (एसबीईबी)] की अनुपालना में बैंक ने पंचाब एण्ड सिंध बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना ("पीएमबी ईएसपीएस") नामक योजना बनाई है। इस योजना को बोर्ड की एक समिति द्वारा प्रशासित किया जाएगा और यह लागू कानूनों के अधीन होगी। दीर्घकालिक संसाधनों में वृद्धि करने के अतिरिक्त, इस मुद्दे का उद्देश्य निम्नानुसार है:

- बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदानों को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करना तथा बैंक के दीर्घकालिक हितों के साथ कर्मचारियों के हितों को एक साथ मिलाएँ, और
- कर्मचारियों के बीच अपनत्व और स्वाभिन्न की भावना को बढ़ाना, योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से पारि-पानु रैंक होगी, जिसमें लाभान्वित का भुगतान भी शामिल है, यदि कोई हो, बैंक द्वारा घोषित।

सेबी के विनियमन 41 (4) (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सेबी के विनियमन 6 (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 की अनुपालना में बैंक कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर के निर्गमन और आवंटन हेतु विशेष समाधान का प्रस्ताव दे रहा है (जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2(1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।)

सेबी परिषद संस्था मीडाईआर/ सीएफडी/ पारिामी सेल / 2015 दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार, इनमें उल्लेखित अनिष्टक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

A. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक ने 10/- रुपये के मूल्य के 500 (पाँच सौ करोड़ रुपये) नए इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का प्रस्ताव किया है - बैंक के सभी कर्मचारियों को (जैसा कि सेबी के विनियमन 2 (1) (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014) लागू कानूनों के अधीन पीएमबी- ईएसपीएस के तहत नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों, उचित प्रीमियम के साथ इस तरह से प्रस्ताव बनाने समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि भारत सरकार की होल्डिंग 52% से कम न हो।

B. जारी किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या :-

पीएमबी- ईएसपीएस के अंतर्गत कुल मिलाकर 5,00,00,000 (पाँच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों कर्मचारियों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन (2014) के विनियमन 2 (1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

C. पीएसबी-ईएसपीएस में सहभागिता करने और लाभार्थी बनने के पात्र कर्मचारियों के वर्गों की पहचान:

बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी जिनमें बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक(ऑ) शामिल हैं [सेबी के शेयर 2 (1) (एफ) के तहत परिभाषित (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014]।

D. निहित करने की आवश्यकताएँ और निहित करने की अवधि:

लागू नहीं।

E. बहू अधिकतम अवधि (सेबी (एसबीईबी) विनियमन 18 (1) और 24 (1) के अधीन, जैसा भी मामला हो) जिसके भीतर विकल्प स्टॉक स्वीकृत अधिकार (एसएआर) लागू किए जाएँगे:

लागू नहीं।

F. एक्ससाईज मूल्य, एसएआर मूल्य, खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण सूत्र:

प्रस्ताव मूल्य / क्रय मूल्य प्रस्ताव देने के समय निदेशक मण्डल/मण्डल की समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र बैंक के कर्मचारियों को आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों, उद निधि जिम दिन मण्डल की समिति ने प्रस्ताव / क्रय मूल्य को निर्धारित किया है में पिछले दो सप्ताह की अवधि के दौरान उच्चतम ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए इक्विटी शेयर के परिणाम भारित औसत मूल्य (बीडब्ल्यूएपी) केई सामाजिक उच्च एवं न्यून के औसत के अधिकतम 25 % छूट पर दिए जाएँगे।

किमी भी स्थिति में ईएसपीएस के तहत इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर के अंकिन मूल्य अर्थात 10 रुपए प्रति शेयर में कम मूल्य पर आवंटित नहीं किया जाएगा।

अंतर्गत परिभाषित किया गया है। बोर्ड/ समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियम व शर्तों के आधार पर तय होगी।

G. एक्ससाईज अवधि और एक्ससाईज की प्रक्रिया:

बोर्ड/ समिति के निर्णय के अनुसार जिम अवधि के दौरान मामला खुला रहता है वह अवधि कार्य अवधि होगी। कार्य की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ- साथ कर्मचारियों को प्रदान की गई पेशकश अंसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ विनियम 2014) के विनियमन 2(1) एफ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आवेदन और सदस्यता गति की प्राप्ति तथा योजना के अनुसार शेयरों का आवंटन शामिल होगा।

H. प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों की योग्यता को निर्धारित करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया:

पेशकश करने की तिथि को पात्र कर्मचारी, लागू नियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अधीन भागीदारी करने के पात्र होंगे।

I. प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर जारी किए जा सकने वाले विकल्पों, एसएआर, शेक्टों, की अधिकतम संख्या जैसा भी मामला हो:

योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या बोर्ड/समिति द्वारा तय की जाएगी। बैंक कुल मिलाकर अधिकतम 5,00,00,000 (पाँच करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है।

J. योजना के तहत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्रा:

योजना के तहत कर्मचारी को जारी इक्विटी शेयरों को अलावा, जैसा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 2(1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है) जैसा कि पैग (आई) में दर्शाया गया है, कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

K. योजना (ओं) को सीधे बैंक द्वारा लागू और प्रशासित किया जाएगा अथवा ट्रस्ट के माध्य से:

प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा लागू तथा प्रशासित की जाएगी।

L. क्या योजना (ओं) के तहत कंपनी द्वारा नए शेयर जारी किए जाएँगे या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण रहेगा या दोनों:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे कर्मचारियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है, जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 2(1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है।

M. कंपनी द्वारा योजना (ओं) के कार्यान्वयन के लिए ऋण की राशि ट्रस्ट को, इसके कार्यकाल, उपयोगिता, पुनर्भुगतान शर्तों इत्यादि के लिए प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे कर्मचारियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है, जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 2(1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है और इस तरह, ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण प्रदान किया जाना लागू नहीं है।

N. द्वितीयक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी नियमों के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन) जो योजना (ओं) के प्रयोजनों को लिए ट्रस्ट द्वारा बनाया जा सकता है:

लागू नहीं।

O. कंपनी सेल इस प्रस्ताव के लिए सेबी के नियम 15 (एसबीईबी) नियमों में निर्दिष्ट लेखा नीतियों का पालन करेगी:

बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा।

P. विधि जो कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य ज्ञात करने के लिए उपयोग करेगी:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है और इस प्रकार, विकल्पों या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है।

Q. निम्न टिप्पणी, यदि लागू हो:

यदि बैंक अनिर्दिष्ट मूल्य का उपयोग करके शेयर आधारित कर्मचारी लाभों का विस्तार करने का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारी मुआवजे की लागत गणना और कर्मचारी मुआवजे की

लागत, जिसे मान्यता दी जाएगी, यदि इसमें उचित मूल्य का उपयोग किया गया हो, तो इनके बीच के अंतर का प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में किया जाएगा साथ ही, लाभ और बैंक के प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएम") पर इस अंतर के प्रभाव का प्रकटीकरण भी निदेशक रिपोर्ट में किया जाएगा।

R. लॉक-इन बंधन:

वर्तमान ईएमपीएम के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सेवी (एनबीईईटी) विनियम, 2014 के अनुसार आवंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष के लिए लॉक-इन रहेंगे।

निदेशक संयुक्त प्रस्तावित संकल्प के पारित होने की सिफारिश करना है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक(ओं) और बैंक के अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) उपरोक्त प्रस्तावों में संबंध या उसमें रुचि रखते हैं क्योंकि यह उनके लाभ के लिए है। अन्य निदेशकों का संकल्प में संबंध या उसमें रुचि नहीं है।

3. योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

- निरंतर बढ़ते हुए कारोबार परिदृश्य में बढ़ते हुए कारोबार स्तर के समर्थन के साथ-साथ वामें-III मानदंडों का अनुपालन करने हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की तन्हा आवश्यकता है।
- वामें-III पूंजी विनियम और परिणामी पूंजी प्रभाग के संदर्भ में पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और बोर्ड द्वारा नए किए गए सामान्य उधार उद्देश्यों के लिए, बैंक की पूंजी की पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने का प्रस्ताव है।
- इक्विटी शेयर जारी करने में संबंधित सूचना में विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया है जैसा कि भारतीय प्रविभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करने एवं प्रकटीकरण जर्नल) विनियम, 2009 ("आई सी आर विनियम") के अध्याय VI के अंतर्गत रु 50 करोड़ (पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) तक के अहतप्राम संस्थागत सहित, के लिए दिया गया है।
- बैंकिंग, बैंक के इक्विटी शेयर को सेवी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, अतः यह आवश्यक है कि किसी भी आगे की प्रसिद्धि के ईश्यू को शेयरधारकों में अनुमोदित करवा लिया जाए यदि आनुपातिक आधार पर उन्हें प्रस्तावित न किया गया हो।
- यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त, अहतप्राम संस्थागत स्थान (क्यू आई पी) के माध्यम से जारी इक्विटी शेयर सांख्यिक, विनियामक या इस संबंध में लागू अन्य निर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।
- इक्विटी शेयर को जारी करने के विस्तृत नियम एवं शर्तें वर्तमान बाजार की स्थिति पर विचार करते हुए व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सहाकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों जो बैंक द्वारा विचारणीय हों, के साथ विचार-विमर्श करके बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। इक्विटी शेयर एक से अधिक भाग में, उपयुक्त समय या समयों पर, उपयुक्त मूल्य या मूल्यों पर और उपयुक्त निवेशकों को जारी करने हेतु बोर्ड के विवेकानुसार से जो उपयुक्त हों, ऐसा करने हेतु बोर्ड को अधिकार देने के लिए विशेष संकल्प लिया जाए।
- नोटिस में वर्णित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन को निदेशक संयुक्त संयुक्त करते हैं।
- विशेष संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक की संबद्धता या रुचि नहीं है।

टिप्पणियां

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैंक में उपस्थित होने के पार शेयर धारक अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को बैंक में उपस्थित होने हेतु नियुक्त करने का भी पत्र है तथा उस प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

विनियम, 2008 (शेयर और बैंक) के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

विनियम संख्या 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी सिद्धि का कोई प्रदान ऐसी किसी बैंक में स्वयं वोट देने का अधिकारी नहीं होगा जिसमें वह लिखत संबंध रखता है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008, असाधारण सामान्य बैठक में कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात्, दिनांक 10.03.2019 (गुवा) शाम 5.00 बजे बैंक के वंद होने से पूर्व प्रॉक्सी फॉर्म (अनुबंध ग) के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकरण के तहत यह हस्ताक्षरित या उस पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी की एक प्रति है, जो तोटरी रजिस्टर या मजिस्ट्रेट द्वारा एक मन्वापिन कॉपी के रूप में प्रमाणित है, पहले बैंक के पास जमा और करवाई।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैंक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य बोर्डिंग कारपोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जो कि बैंक का शेयरधारक है, जब तक कि उसके पास संकल्प की प्रति जो उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करती, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा मन्वापिन वास्तविक प्रति, जिसे पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008, असाधारण सामान्य बैठक में कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात्, दिनांक 11.03.2019 (गुवा) शाम 5.00 बजे बैंक के वंद होने से पूर्व ले।

3. सूचीकरण, उपस्थिति पत्रों तथा प्रवेश पत्रों :

बैंक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की सूचियां के लिए, सूचीकरण प्रक्रिया 15.03.2019 को सुबह 9 बजे से, कार्यक्रम स्थल पर शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सूचीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बैंक आरंभ होने से पूर्व ही उपस्थित रहें।

शेयरधारकों की सूचियां के लिए, उपस्थिति पत्रों और प्रवेश पत्र को इस नोटिस के साथ मंगल किया गया है (अनुबंध-बी)। शेयरधारकों / प्रॉक्सी होल्डर्स / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने हस्ताक्षरों को दिए गए स्थान पर करें और स्थान पर ही दें, उसके पश्चात ही प्रवेश पत्रों जारी की जाएगी। शेयरधारक के प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पत्रों पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा कि मामला हो वताना चाहिए। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि यह नोट करें कि बैंक में प्रवेश मन्वापिन / जांच के अधीन होगा, जैसा कि अत्यंत आवश्यक है और उन्हें अपनी पहचान के लिए मतदान पहचान पत्र / नियोजक पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि के वैध प्रमाण लेकर आने की सलाह दी जाती है। मतदान के लिए बैलेट पत्र प्रवेश पत्र देने के पश्चात ही जारी किया जाएगा।

4. शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ संप्रेषण:

वास्तविक रूप में शेयर यदि हैं तो ऐसे शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन अद्यतन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से निम्नलिखित पते पर संप्रेषण करें:

लिनक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

प्लूटि पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

नोबल हाइट्स, पहला तल. प्लॉट नं. एलएच 2, एलएमसी, सी-1 ब्लॉक, , नियम साविकी मार्केट, जतकपुरी, नई दिल्ली-110058

फोन: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0581

ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

रिमोटरियल 18 ब्लॉक में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ईमेल का पता, डाक पता, बैंक विवरण आदि में

अंतरंग परियोजना / अपडेट करें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से संशोधन हो सके।

5. शेयरधारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों / प्राप्ति धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियों वार्षिक आम बैठक में लेकर आएँ। वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वार्षिक आम बैठक के स्थल पर प्रदान नहीं की जाएगी।

इसकी सराहना की जाएगी, यदि शेयरधारक अपने प्रश्नों को बैठक में पूर्व ही कंपनी सचिव, पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय अंतर सेल, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 को प्रस्तुत करते हैं अथवा complianceofficer@psb.co.in को ईमेल करते हैं।

6. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के संदर्भ में, बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, उनके अपने शेयर के संबंध में कुल मतदान के अधिकार के दम प्रदान में अधिक का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा आइटम के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। असाधारण आम बैठक में ई-वोट / वोट के लिए पात्रता की कट-ऑफ़ वार्षिक 08.03.2019 है। ई-मतदान की अवधि 12.03.2019 को सुबह 10.00 बजे से आरंभ होगी और 14.03.2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात शेयरधारक ई-वोट नहीं दे सकते। लांग-इन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया का विवरण संलग्न है।

जिन शेयरधारकों ने ई-वोट दिया है, वे असाधारण आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि वे मतदान के माध्यम से वोट देते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. शेयर सेल

शेयरधारकों को स्वयं और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में एक शेयर सेल की स्थापना की है, शेयरधारक इस सेल में किसी भी सहायता के लिए उल्लेखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव, पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयर सेल, लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008, टेलीफोन: 011-25782926, 25812922, ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

8. अन्य बातें

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार / उपहार रूप में वितरित नहीं किया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा के कारण, हॉल के अंदर स्क्रिफेस, खाने और अन्य सामानों की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है।

कृते पंजाब एंड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 14.02.2019

(एम. हरिशंकर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ई-वोटिंग प्रक्रिया

पंजाब एंड सिंध बैंक की छठी वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

बैंक कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, असाधारण सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएस के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- दिनांक 12.03.2019 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि आरंभ होगी और दिनांक 14.03.2019 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 08.03.2019 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अनौपचारिक रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकता है। उससे: याद सीएसडीएस द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
- शेयरधारकों को ई-वोटिंग साइट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
- शेयरधारक पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
- सीएसडीएस हेतु - 16 अंकों की हिनाधिकारी आईडी।
- एनएसडीएस हेतु - 8 अंकों की सीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
- भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोनियों संख्या प्रविष्ट करें।
- दर्शनी गई ईमेल को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर असौचितिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगइन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा असौचितिक रूप (सीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) <ul style="list-style-type: none"> मेसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में क्रम संख्या जो पोस्टल डिविजन/उपस्थिति पत्ती पर प्रिंट है पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।
जन्म-तिथि	डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोनियों में दिन/माह / वर्ष रूप में अपनी जन्म-तिथि प्रविष्ट करें।
नामांश बैंक विवरण	<ul style="list-style-type: none"> कृपया जन्मतिथि या नामांश बैंक विवरण लॉगइन करने हेतु करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है तो कृपया नामांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोनियों संख्या जैसा कि (iv) में उल्लेखित है, प्रविष्ट करें।

- दू न विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, वेलेकशन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे यहाँ उनके द्वारा निर्धारित पासवर्ड, नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए सदस्य हैं, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती है, प्रयोग किया जा सकता है। आपको संभरीया से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग एम नोटिस में ई-मतदान हेतु दिए गए महीने में किया जा सकता है।
- पंजाब एंड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोयुअर विवरण के समक्ष हों। वहाँ का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक है अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हौ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति मूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति मूचित करता है।

- यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" को क्लिक करें।
- वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इसप्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।
- यदि ईमेल खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेल मत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाइल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं जोकि एन्ड्रायड आधारित मोबाइलों हेतु उपलब्ध है। एम-वोटिंग मोबाइल एप को गूगल के प्ले स्टोर से हासिल किया जा सकता है। एप्पल और विंडोज फोन का उपयोग करने वाले एप्पल स्टोर तथा विंडोज फोन स्टोर से क्रमशः एप प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल एप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।
- अथैवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट
- अथैवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक में अलग, ट्रिडू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ई-मेल कर देना चाहिए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपातन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपातन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- सभी खातों की सूची helpdesk.evotingindia@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटॉर्नी और वॉर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको मत्यापित कर सके।

(xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणी: यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करना है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किन्तु फोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री मुचिता कोने, कार्यगत कंपनी सचिव(सीपी नं. 714) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अकेअक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न होने के तीन दिनों के भीतर अक्षरशः, असाधारण सामान्य बैठक की संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ अकेअक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा;

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को असाधारण सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा;

बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.cdsindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा महायता अनुभाग के अंतर्गत www.evoting@cdslindia.com पर ई-वोटिंग मेंनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या श्री वैकेस्वामी फुलतों, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 25वां माला, विय ए मार्टन फ्यूचर एक्स, माफतलाल मिल्स कॉम्पाउण्ड एनएम जोशी मार्ग, लोअर पेरल (ई) मुम्बई-400013, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण एमोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इन्टरटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्प्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायण औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-28 दूरभाष नं. 011-41410592,41410593 या delhi@linkintime.co.in को ई-मेल करें।

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

[शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए]

मैं/हम _____ निवासी _____
 _____ जिला _____ राज्य _____ का/की/के हैं जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा
 श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
 _____ जिला _____, राज्य _____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री/ श्रीमती
 _____ निवासी _____
 _____ जिला _____ राज्य _____ को सोमवार, दिनांक 15 मार्च 2019 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण सामान्य
 बैठक में जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने
 की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से मेरे/ हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करना हूँ/करने हैं। _____ माह के _____ दिन 2019 को हस्ताक्षरित
 पंजीकृत फोनियो न./प्राहक का आईडी.न.शेयरों की संख्या

कृपया रसीदी
 टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम:

पता :

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने संबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:

क) व्यक्ति शेयरधारक के मामले में, यह उनके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।

ख) संयुक्त शेयरधारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।

ग) नियमित निकाय के मामले में उनके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।

2. प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर डमका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आध्यात्म रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।

3. प्रॉक्सी के साथ:

क) अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या

ख) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटार्नी अधिकार की प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् रविवार 11 मार्च 2019 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्यसमय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।

4. यदि संबंधित अटार्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।

5. यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "B" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।

6. बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंश्लेषणीय तथा अंतिम होगा।

7. यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे असाधारण सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा जिससे वह प्रलेख संबंधित है।

9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कर्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

ਉਪਸਥਿਤਿ ਪਰਚੀ
 ਕਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਬੈਠਕ
 ਪੰਜਾਬ ਈਓਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟਾਫ ਪਰਸਿਲਣ ਕਾਲੇਜ,
 ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ, ਪਲਾਟ ਸੰਖਯਾ-3 ਸੇਕਟਰ 3, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿਲ੍ਲੀ-110085

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2019 ਘਰਾ: 10.30 ਭਯੇ

[ਕ੍ਰਪਯਾ ਉਪਸਥਿਤਿ ਪਰਚੀ ਕੋ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਮੇ ਭਰ ਡੇਂ ਈਓਡ ਬੈਠਕ ਹੋਂ ਕੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਾ ਓਂਟਰ ਘਰ ਓਯੇ ਸੌਂਪ ਡੇਂ]

ਡੀਪੀ ਆਈਡੀ ਈਓਡ ਗਰਾਹਕ ਆਈਡੀ/ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਫੋਲਿਯੋ	
ਸ਼ੇਯਰਘਾਰਕ ਕਾ ਨਾਮ	
ਸ਼ੇਯਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਯਾ	
ਸ਼ੇਯਰਘਾਰਕ/ਪ੍ਰੌਕਸੀ/ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿ ਕੇ ਹਸਨਾਖਰ	

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਸ
 ਕਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਬੈਠਕ
 ਪੰਜਾਬ ਈਓਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟਾਫ ਪਰਸਿਲਣ ਕਾਲੇਜ,
 ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ, ਪਲਾਟ ਸੰਖਯਾ-3 ਸੇਕਟਰ 3, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿਲ੍ਲੀ-110085

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2019 ਘਰਾ: 10.30 ਭਯੇ

ਡੀਪੀ ਆਈਡੀ ਈਓਡ ਗਰਾਹਕ ਆਈਡੀ/ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਫੋਲਿਯੋ	
ਸ਼ੇਯਰਘਾਰਕ ਕਾ ਨਾਮ	
ਸ਼ੇਯਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਯਾ	
ਸ਼ੇਯਰਘਾਰਕ/ਪ੍ਰੌਕਸੀ/ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿ ਕੇ ਹਸਨਾਖਰ	

ਨੋਟ - ਮਤਦਾਨ ਕੀ ਸਥਿਤਿ ਮੇਂ ਮਤਪਤ੍ਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਸ ਪਰ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜਾਈਗਾ।



NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Friday, the 15th March 2019 at 10.30 A.M. at Punjab & Sind Bank Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085, to transact the following business:

ITEM NO. 1

Issue of Equity Shares to Employees and Whole-Time Directors of the Bank on ESPPS basis (Employee Share Purchase Scheme)

To create, grant, offer, issue and allot up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PSB-ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as **Special Resolution** (s):

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 ("The Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange (s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR)) as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PSB-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification (s), amendment (s) or re-enactment thereof."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "PSB-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "PSB-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "PSB-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "PSB-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "PSB-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "PSB-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

Item No. 2

Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement

To seek approval of shareholders to create, offer, issue and allot Fresh Equity Shares of face Value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each up to an amount of Rs.500 crore by way of Qualified Institutional Placement, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as **Special Resolution** (s):

"**RESOLVED THAT** pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 (herein referred to as "the Act"), Banking Regulation Act, 1949 (herein referred to as "Banking Act"), Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (herein referred to as the "Regulations"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (herein referred to as "SEBI (ICDR) Regulations") and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and / or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), Listing Agreement entered into by the Bank with stock exchanges, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, any approval, consent, permissions or sanctions of other concerned authorities and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (herein referred to as "the Board" which term shall include any committee constituted by the Board), consent be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of Qualified Institutional Placement under Chapter VI of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not as may be approved by GOI / RBI and as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations for an aggregate amount not exceeding Rs.500 crore (Rupees Five Hundred Crore) on any such time or times, in one or more tranches at such price including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of investors to whom the offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead managers(s) and / or underwriter(s) and / or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Equity shares issued shall rank *pari-passu* with the existing shares of the Bank including dividend."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VI of ICDR Regulations:

- a. the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b. The Bank, pursuant to Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations
- c. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations"

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to engage / appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission."

brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc. with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a committee of Directors to delegate all or any of its powers to a Committee of Directors / Managing Director & Chief Executive Officer / Executive Director(s) / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolution and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters, things and accept any alterations(s) or amendments(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- i. Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
- ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotment of Equity Shares;
- iii. Arranging, the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- iv. Opening such Bank Accounts as may be required for the offering;
- v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;
- vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchanges(s) where the equity shares of the Bank are listed.

Place : New Delhi
Date : 14 February , 2019

By order of the Board of Directors
(S Harisankar)
Managing Director & CEO

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

1. ISSUE OF EQUITY SHARES TO EMPLOYEES ON ESPS BASIS (EMPLOYEE SHARE PURCHASE SCHEME)

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its employees including Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Directors of the Bank [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014]. The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the Basel III requirements.

In compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank has formulated a Scheme namely Punjab & Sind Bank – Employee Share Purchase Scheme ("PSB-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to applicable laws.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long-term interests of the Bank, and
- To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.

The new Equity Shares proposed to be issued under the Scheme shall rank pari-passu in all respects with the existing Equity Shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to employees (as defined under regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014).

Pursuant to SEBI Circular No CIR/CFD/Policy Cell / 2015 dated 16-06-2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer up to 5 (Five) crore new equity shares of face value of Rs.10/- each of the Bank to all Employees (as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014) under PSB-ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, with appropriate premium to be decided at the time of making the offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 51%.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED

Up to 5,00,00,000 (Five Crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Employees (as defined under regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014) under PSB-ESPS.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN PSB-ESPS

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank (as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014).

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

Not Applicable.

E. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTION / STOCK APPRECIATION RIGHTS (SARs) / BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board/Committee of Board at the time of the offer. The Equity Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be offered at a discount of not more than 25% on the average of the weekly high and low of the Volume Weighted Average Prices (VWAP) of the equity shares as quoted on the stock exchange with highest trading volume during the two weeks preceding the date on which the Committee of Board fixes the Offer / Purchase Price.

Under no circumstances, the equity shares shall be allotted under the ESPS at a price which is lower than the face value of the equity shares i.e. Rs.10 per equity shares.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board / Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Employees (as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014), receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirement and guidelines.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Board / Committee. The Bank proposed to issue maximum of 5,00,00,000 (Five Crore) new equity shares in aggregate.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than equity shares issued to the Employees (as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014) under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the employees.

K. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES ISSUE OF NEW SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Employees (as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014).

- M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILISATION, REPAYMENT TERMS ETC:**
Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Employees [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014] and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.
- N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S):**
Not Applicable.
- O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATIONS OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:**
The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.
- P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs**
Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.
- Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE**
In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share (EPS) of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements, if applicable.
- R. LOCK-IN PERIOD:**
The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.
The Board of Directors recommends the passing of the proposed Resolution. The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors (s) and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned resolution (s) as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.
- II. Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement**
- To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario and to comply with the Basel-III norms, the Bank needs additional capital immediately.
 - In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and consequent Capital Charge and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund general business needs of the Bank.
 - The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares through Qualified Institutional Placement under Chapter VI of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding Rs.500 Crore (Rupees Five Hundred Crore only).
 - As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.
 - It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), etc., would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.
 - The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.
 - The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.
None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution.
- 2. APPOINTMENT OF PROXY:**
A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.
No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
The Proxy Form (Annexure -'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 10.03.2019 (Sunday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.
- 3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**
No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department- Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 11.03.2019 (Monday).
- 4. REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:**
In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 15.03.2019, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.
For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.
- 5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**
Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address, to receive all communication through electronic mode:
Link Intime India Pvt Ltd.
Unit: Punjab & Sind Bank
Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058
Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591
Email: delhi@linkintime.co.in
Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.
- 6. REQUEST TO SHAREHOLDERS:**
It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in.
- 7. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:**
In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at EGM is 08.03.2019. The e-voting period shall commence on 12.03.2019 from 10.00 a.m. and end on 14.03.2019 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

The shareholders who have e-voted can participate in the EGM but cannot participate in poll. In case they vote through poll, the same will not be considered.

8. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi. Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance:

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, New Delhi-110008. Telephone: 011-25782926, 25812922. E-mail: complianceofficer@psb.co.in.

9. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

Place: New Delhi
Date: 14 February 2019

By Order of the Board of Directors
Sh S Harisankar
Managing Director & CEO

E-VOTING

E-Voting for the Extraordinary General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the EGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- (i) The voting period begins on 12.03.2019 at 10.00 a.m. and ends on 14.03.2019 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 08.03.2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID.
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID.
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio. <ul style="list-style-type: none"> • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
 - (xi) Click on the EVSN for Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
 - (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
 - (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
 - (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
 - (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 - (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
 - (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xix) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting. Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll. Mr. Suchitta Koley, Practicing Company Secretary (CP No. 714) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Extraordinary General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Extraordinary General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting; The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL, immediately after the result is declared by the Chairman; Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Extraordinary General Meeting; Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.cdslindia.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone- (800)2005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block I.S.C. Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.



Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008
{EXTRAORDINARY GENERAL MEETING}: 15.03.2019

Annexure-'A'

FORM 'B'
PROXY FORM


[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident ofin the district of..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district ofin the State ofor falling him/her, Shri/Smt resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Friday the 15th March, 2019** at 10.30 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2019

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares



Signature of Proxy

Signature of the sole / first named shareholder

Name:
Address: _____

Name :
Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless.
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- The proxy together with : (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of Sunday, the **10th day of March, 2019 (5.00 p.m.)**.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



(Annexure-'B')

ATTENDANCE SLIP
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085

FRIDAY, MARCH 15, 2019, 10.30 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			



ENTRY PASS
(To be retained throughout the meeting)
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085

FRIDAY, MARCH 15, 2019, 10.30 a.m.

Regd. Folio/DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.